ालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीन अधिकारी:–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
मा नम्बर:–20/2019 प्रार्थना पत्र
ार चन्द्र पिता बख्तावर बलाई, उम्र बालिग निवासी हरणीकंला तहसील व जिला भीलवाड़ा
स्थान)
——प्रार्थी

बनाम

ी छोगा पिता गोकल जाट, उम्र बालिग निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी गणेश पिता बीरम जाट, उम्र बालिग निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी रामलाल पिता सवाईराम जाट, उम्र बालिग निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी अम्बालाल पिता जैराम जाट, उम्र बालिग निवासी सबलपुरा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी ललित शंकर पिता शर्मा, उम्र बालिग निवासी नीलकंठ कॉलोनी, भारद्वाज केटर्स, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
——विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांक:–25.2.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व धिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सबलपुरा, पटवार ल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 257 रकबा 7 बिस्वा भूमि प्रार्थी नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त ी आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। स कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी राना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दान फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 4.1.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये सम्मन पक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 6 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे ामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 6 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 6 को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 6.2.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा हस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे ाश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते मय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे ाश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के ... स्वीकार किया जाकर ग्राम सबलपुरा, पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित ... आराजी नम्बर 267 रकबा 7 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का ... दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को 200/–रूपये ... सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीया मौके पर ... करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। ... पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner